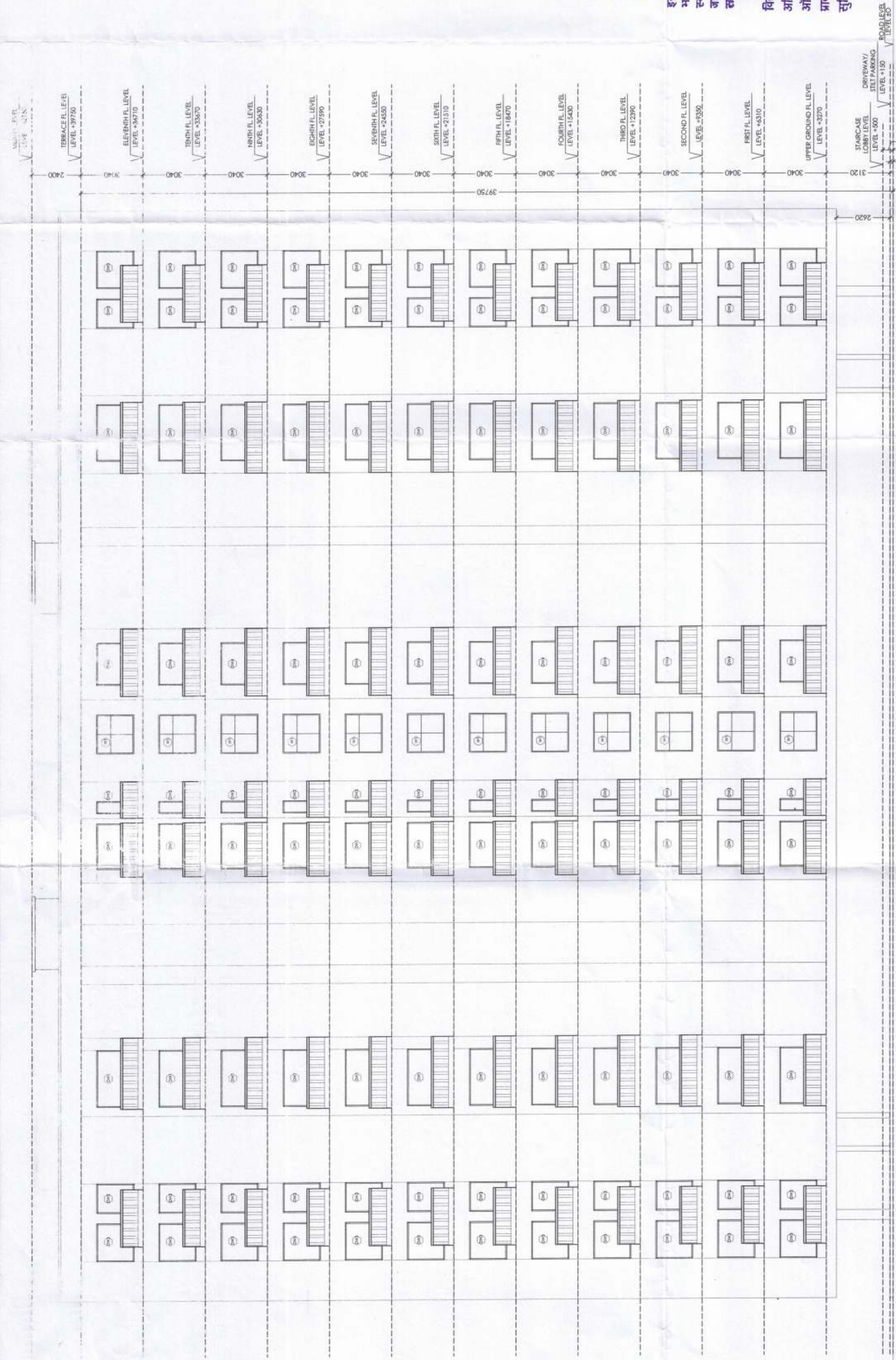
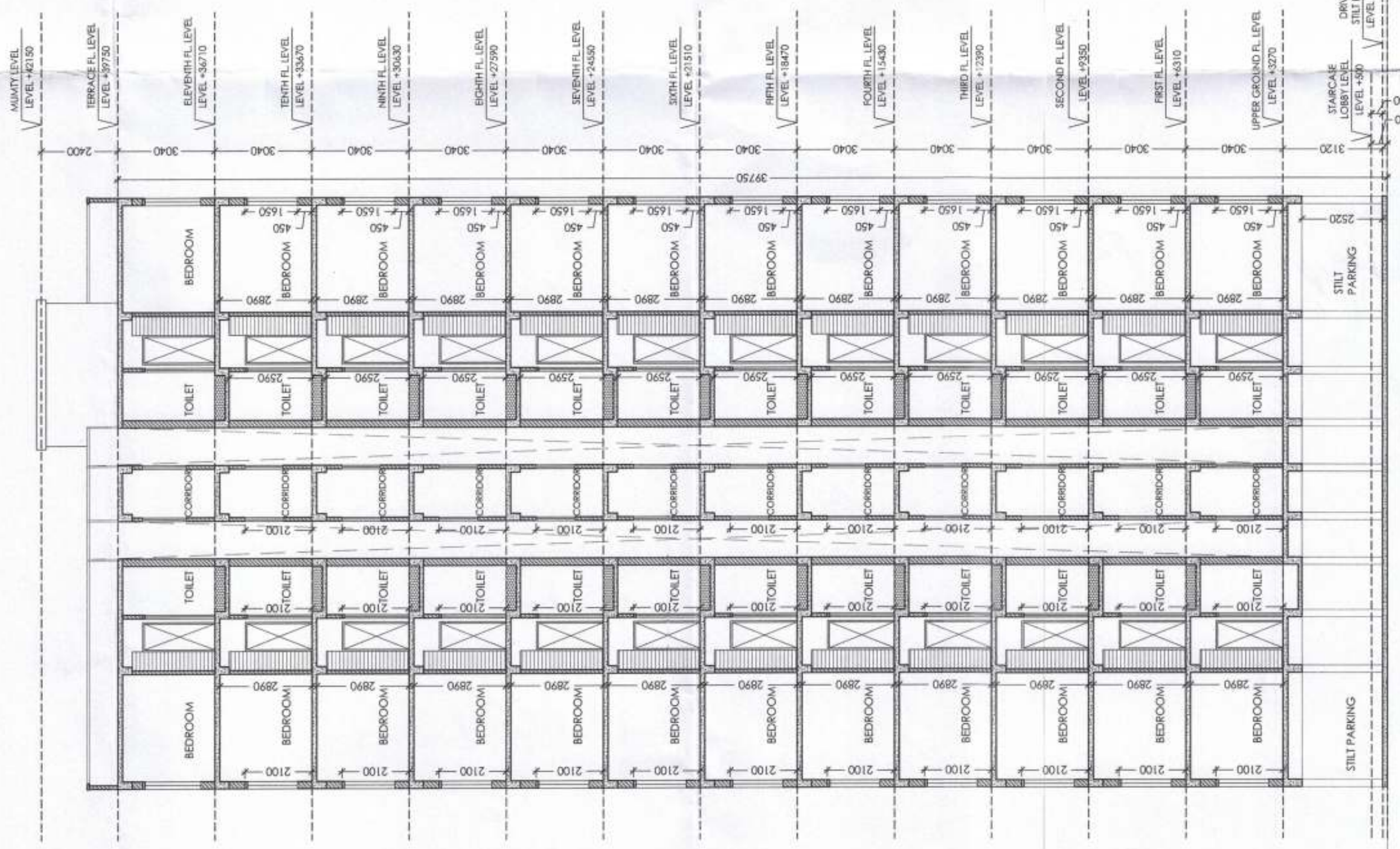
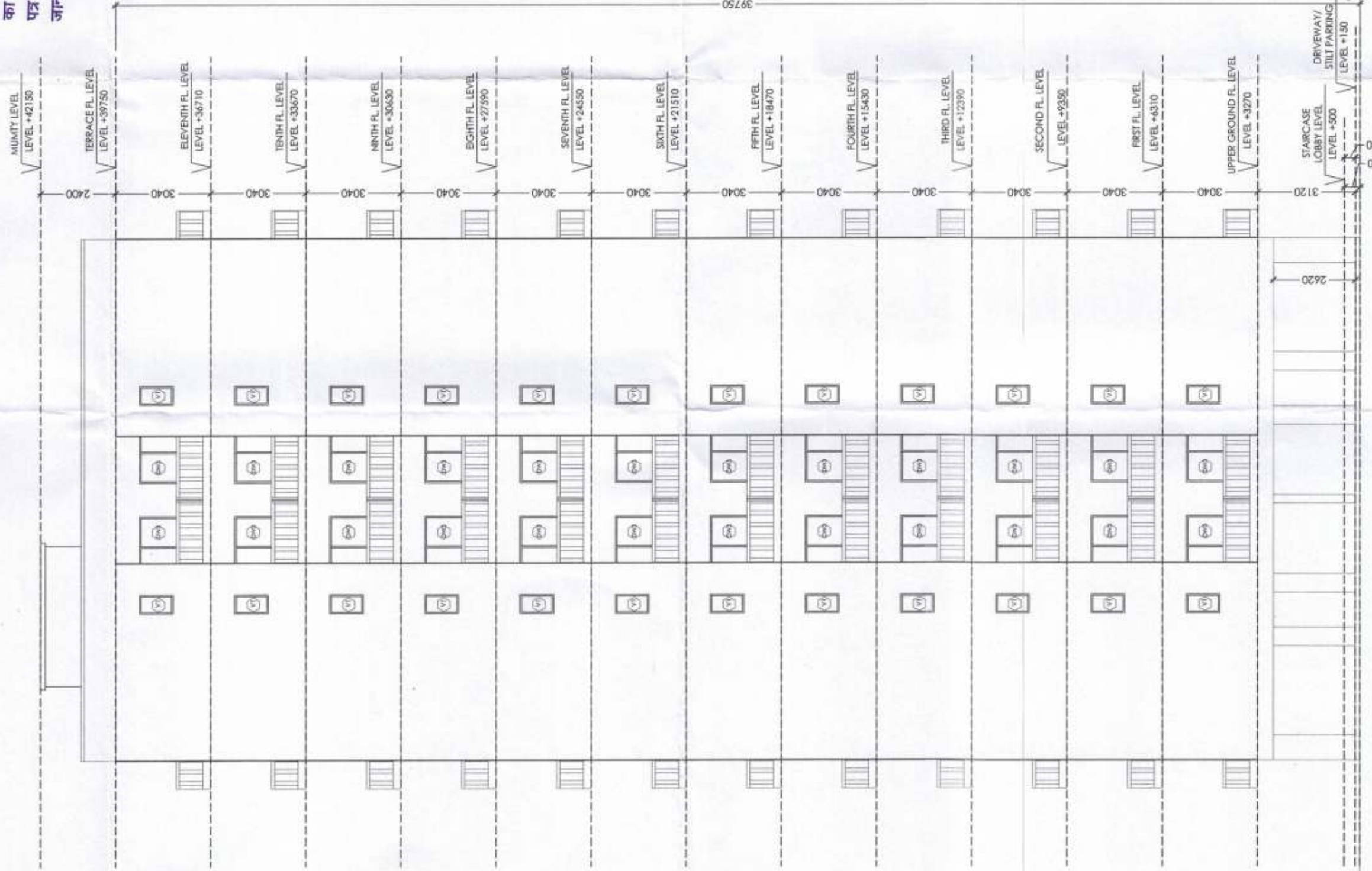




FRONT ELEVATION



SECTION BB'



RIGHT ELEVATION

अनुमोदित

नगर विकास ब्यास, गिवाडी भवन  
निर्माण 2000 की धारा 8.15 के  
द्वारा निर्देशों के अनुसार ब्यास  
संरक्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष  
प्राधान्य रखा जावे अथवा 70 वि०  
ब्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध  
निष्पत्तित कार्रवाई की जायेगी।

नगर विकास ब्यास, गिवाडी भवन  
निर्माण 2000 की धारा 12 के द्वारा  
निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से  
विकास व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित  
भवन में विशेष प्राधान्य रखा जावे  
अथवा 70 वि० ब्यास द्वारा भवन निर्माण के  
विरुद्ध निष्पत्तित कार्रवाई की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी  
भाति प्रमाणित भूमिभूतल के प्रति  
स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं मांगा  
जायेगा। और न ही इसी किसी के स्वास्थ्य  
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होगा।

विशेष सेवा में नवकारी एवं जल-मल, विकास  
अनि रणन आदि सेवाएं नगरपालिका कोड  
अधिक सुविधा के प्रदायकों/मल विनिर्माण के  
प्रदायकों/सम्बन्धित नगरपालिका के प्रदायकों को  
सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006  
की धारा में राज्य सरकार के परिसर दिनांक  
04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक  
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "परमिशन" प्राप्त  
करना अनिवार्य होगा।

भेद लगाओ-सहियाली बढ़ाओ

पार्किंग सेवा का उपयोग केवल  
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation  
to be Provided as per N.B.C.  
Norms.

"बारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में लंबे  
गदी भवन निर्माण की सख्त (STRUCTURE)  
का दायित्व धार्य का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का  
निष्पत्तित प्रस्तावित किया जावे।

Rain Water Harvesting Unite  
Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID  
ONLY UPTO FIVE YEAR  
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/  
Building Plan Committee D-14/17  
One Set of Building Plans  
Approved is Issued Along-With  
Letter No. 117 Dt. 1-5-17

राशयक नगर नियाजक  
नगर विकास ब्यास,  
गिवाडी

वरिष्ठ नगर निरोजक  
नगर विकास ब्यास  
गिवाडी (अलवर)

Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Architect  
CA/97/21634

Signature of Owner

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR  
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD  
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,  
218, 225 AT VILLAGE - THADA  
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER CAMPFOR  
SECTION & ELEVATION

DATE :

15-07-2017

NORTH :



SHEET NO :

13 of 34

PROJECT NO :

231

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO  
an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,  
NEW DELHI-110029, PH- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web : www.aestudio.in